केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसन्धान परिषद्
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसन्धान भवन
61-65, संस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDIC SCIENCES
Ministry of Ayush, Govt. of India
Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Evam Homoeopathy Anusandhan Bhawan
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058
EPBX
28525852
28520501
28522524
28525831
28525862
28525883
28525897
28525488
28525991

फ. सं.:HQ-GRV011/23/2026-GRV/1937 दिनांक : 23 JUN 2026

परिपत्र

विषय: संस्थान स्तर पर प्रशासनिक मामलों एवं कार्मिक शिकायतों का उचित माध्यम से निस्तारण।

यह देखा गया है कि परिषद् के प्रत्यायोजित अधिकारों तथा विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्थान स्तर पर ही उचित रूप से निस्तारित किए जा सकने वाले विभिन्न प्रशासनिक, स्थापना, वित्तीय तथा कार्मिक शिकायत संबंधी मामलों को संबंधित संस्थान द्वारा समुचित परीक्षण एवं निस्तारण किए बिना प्रथम दृष्टया मुख्यालय को संदर्भित किया जा रहा है।

इस संबंध में पुनः अवगत कराया जाता है कि केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) में संस्थागत प्रशासन एवं अधिकारों के प्रत्यायोजन की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था विद्यमान है, जिसके अंतर्गत नियमित प्रशासनिक, परिचालन एवं कार्मिक मामलों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। अतः कार्मिक शिकायतों सहित अन्य मामलों का यथासंभव संस्थान स्तर पर ही चर्चा, परामर्श तथा प्रचलित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार परीक्षण कर समाधान किया जाना चाहिए।

अतः सभी संस्थानाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने हेतु परामर्श दिया जाता है कि—

1. प्रशासनिक, स्थापना, वित्तीय तथा कार्मिक शिकायत संबंधी मामलों का सर्वप्रथम प्रचलित नियमों एवं प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार संस्थान स्तर पर परीक्षण एवं निस्तारण किया जाए।
2. कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपनी शिकायतें निर्धारित माध्यम से प्रस्तुत करें तथा प्रथम दृष्टया संस्थान स्तर पर ही उनके निवारण का प्रयास करें।
3. आवश्यकतानुसार संबंधित कर्मचारी को कारणयुक्त उत्तर (Reasoned Reply) अथवा स्पष्ट आदेश (Speaking Order) जारी किया जाए।
4. केवल वे ही मामले, जो नीतिगत विषयों, नियमों की व्याख्या, संस्थान को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे विषयों अथवा मुख्यालय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित होने से संबंधित हों, उन्हें संस्थानाध्यक्ष की टिप्पणियों सहित CCRAS मुख्यालय को संदर्भित किया जाए।
5. मुख्यालय को भेजे जाने वाले प्रत्येक संदर्भ में मामले के तथ्य, संस्थान स्तर पर की गई कार्रवाई, संबंधित अभिलेख तथा संस्थानाध्यक्ष की स्पष्ट संस्तुतियाँ/टिप्पणियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएँ।

यह विशेष रूप से रेखांकित किया जाता है कि कार्मिक शिकायतों सहित अन्य मामलों को संस्थान स्तर पर समुचित परीक्षण किए बिना मुख्यालय को अग्रेषित करना परिषद् की स्थापित संस्थागत प्रशासन व्यवस्था के उद्देश्य के प्रतिकूल है तथा मामलों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब का कारण बनता है।

जारी...2

अतः सभी संस्थानों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कार्मिक शिकायतों के प्रभावी निवारण एवं नियमित मामलों के उपयुक्त स्तर पर समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by RENU RAJAN
Date: 23-06-2026 10:58:23

कृते (महानिदेशक)

सेवा में,

सी.सी.आर.ए.एस. के सभी परिधीय संस्थानों के प्रभारी अधिकारी को एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ ,

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, महानिदेशक/उप महानिदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)
2. प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती)/लेखा/समन्वय/स्था /प्रशासन अनुभाग।
3. आई.टी. अनुभाग – CCRAS की वेबसाइट पर सामान्य परिपत्रों में अपलोड करने हेतु।
4. कार्यालय अधीक्षक (स्थापना/प्रशासन)।
5. कार्यालय आदेश फाइल।

कृते (महानिदेशक)

जारी किया गया/Issue............
दिनांक/Date..23/6/2026...
हस्ताक्षर/Sig........................

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसन्धान परिषद्
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसन्धान भवन
61-65, संस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDIC SCIENCES
Ministry of Ayush, Govt. of India
Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Evam Homoeopathy Anusandhan Bhawan
61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058
EPBX
28525852
28520501
28522524
28525831
28525862
28525883
28525897
28525488
28525991

F.No. HQ-GRV/011/23/2026-GRV/1937 **Dated: 23 JUN 2026**

CIRCULAR

Subject: Disposal of Administrative Matters and Staff Grievances at Institute Level through Proper Channel

It has been observed that various administrative, establishment, financial, and staff grievance matters, which can be appropriately addressed at the Institute level under the delegated powers and existing governance framework of the Council, are being referred to Headquarters at the first instance without adequate examination or disposal by the concerned Institute.

In this regard, it is reiterated that CCRAS has a well-defined system of institutional governance and delegation of powers for handling routine administrative, operational, and personnel matters. Any matters including Staff grievances should, as far as possible, be addressed and resolved at the Institute level through discussion, counseling, and examination of the issues in accordance with the applicable rules and instructions.

Accordingly, all Institute In-Charges are advised to ensure that:

1. Administrative, establishment, financial, and staff grievance matters are first examined and disposed of at the Institute level as per the extant rules and delegated powers.
2. Employees may be encouraged to submit their grievances through the prescribed channel and seek redressal at the Institute level in the first instance.
3. A speaking order or reasoned reply is issued to the employee wherever required.
4. Only those cases involving policy matters, interpretation of rules, issues beyond the delegated powers of the Institute, or matters requiring approval of the Competent Authority at Headquarters are referred to CCRAS Headquarters, with the remarks of the head of the Institute.
5. Any reference to Headquarters shall invariably contain the facts of the case, action already taken at the Institute level, relevant documents, and specific recommendations/comments of the Institute In-Charge.

It is emphasized that forwarding matters, including staff grievances, to Headquarters without due examination at the Institute level defeats the purpose of the established institutional governance mechanism and leads to avoidable delays in disposal.

(P.T.O)

All Institutes are, therefore, requested to strictly adhere to the above instructions and ensure effective redressal of staff grievances and disposal of routine matters at the appropriate level.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Digitally signed by
RENU RAJAN
Date: 23-06-2026
11:02:00

for (Director General)

To

In Charges(s) of all peripheral Institutes under CCRAS for information and compliance

Copy to:-

1. PS to DG/DDG/DDA for information
2. Ad.O(Rectt.)/Accounts/Co-ordination/Admn for information
3. IT Section for inclusion in the General Circulars of CCRAS website
4. O.S(Estt/Admn) for information
5. Office Order Folder

for (Director General)

जारी किया गया/Issue...........
दिनांक/Date...23/6/2026
हस्ताक्षर/Sig...........